राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प.6(262)परि/कर/मु./2007/23676   जयपुर, दिनांकः 8/11/16

आदेश

विभाग द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 38/2016 दिनांक 19.10.2016 द्वारा वाहन पंजीयन के साथ कर चुकता प्रमाण पत्र जारी किया जाना अनिवार्य किया है।

उक्त कार्य अधिकांश परिवहन कार्यालयों में प्रारंभ किया जा चुका है। किन्तु वाहन डीलर्स के स्तर पर किये जाने वाले पंजीयन के साथ कर चुकता प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। यद्यपि वाहन डीलर्स द्वारा पंजीयन संबंधी प्रक्रिया अपने स्तर पर की जाती है तथापि स्मार्ट कार्ड को जारी किये जाने का कार्य परिवहन कार्यालय द्वारा ही किया जाता है, अतः स्मार्ट कार्ड जारी करने के साथ ही कर चुकता प्रमाण पत्र भी जारी किये जावे।

अतः डीलर्स के स्तर पर किये जाने वाले वाहन पंजीयन के साथ–साथ संबंधित परिवहन कार्यालय द्वारा कर चुकता प्रमाण पत्र जारी किया जावे तथा यह प्रमाण पत्र वाहन स्वामियों को स्मार्ट कार्ड के साथ आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(आर.सी. यादव)
अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (कर)

क्रमांकः– प.6(262)परि/कर/मु./2007/23677-82   जयपुर, दिनांकः 8/11/16

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
4. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, एस.ए. को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (कर)